



वैश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
8.5.2018	<p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्द वाद संख्या 108/2017-18 राज्य बनाम चरक तुरी पिता यदु तुरी साकिन कुड़को, पीरटांड आदेश</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 237 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख अन्तर्गत मौजा कुड़को थाना नं0 176 के खाता नं0 60 प्लॉट नं0 1167, 1012 रकवा 2.04 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की चरक तुरी पिता यदु तुरी साकिन कुड़को अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न-भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-</p> <p>मौजा कुड़को थाना नं0 176 के खाता नं0 60 प्लॉट नं0 1167, 1012 रकवा 2.04 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल भूमि है।</p> <p>वादगत भूमि भूदान पर्चा से प्राप्त बताया गया। खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन का मालिकाना हक सरकार की है। दिनांक 26.01.1955 की तिथि से जमींदारी सरकार में निहित हो गई।</p> <p>दिनांक 01.01.1946 के पश्चात प्रश्नगत जमीन को दान देने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं था।</p> <p>अतः प्रश्नगत जमीन का हस्तांतरण भूदान यज्ञ कमिटी को किया जाना अविश्वसनीय है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा भी प्रश्नगत जमीन के भूदान हेतु दान किये जाने की सम्पुष्टि नहीं की गई है।</p> <p>राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि को प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में रखा गया है।</p> <p>स्पष्ट है कि सरकार के हित को नुकसान पहुँचाने एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पंजी II में अनाधिकृत प्रविष्टि की गई है।</p> <p>अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा कुड़को थाना नं0 176 के खाता नं0 60 प्लॉट नं0 1167, 1012 रकवा 2.04 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की चरक तुरी पिता यदु तुरी साकिन कुड़को अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।</p> <p>सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="422 1747 649 1948" style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, गिरिडीह। </div> <div data-bbox="1023 1747 1266 1904" style="text-align: center;">  उपायुक्त, गिरिडीह। </div> </div>	